न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 99 / 2017

1–आमीर 2–अकरम 3–जहीर 4–परवेज 5–तोफीक	पुत्र युसुफ नावालिगान जरिये संरक्षक खास माता जयसौदा पत्नी युसुफ जातियान मेव निवासीयान जोत गामैती तहसील पहाडी जिला भरतपुर

.......प्रार्थी0

बनाम

1– युसुफ पुत्र शकुर । आतियान मेव निवासीयान ग्रांम जोत गामैती तहसील
2– फजरी पुत्री जीवना । पहाडी जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.एक्ट विरुद्व उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी अन्तर्गत प्रकरण राजस्व संख्या 41 / 2015 शीर्षक आमिर वगे. बनाम युसुफ वगे0

निर्णय दिनांक 28.6.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया गया है कि उपरोक्त उनवानी एक दावा उपखण्ड अधिकारी पहाडी के न्यायालय में विचाराधीन है। दावा अप्रार्थी. द्वारा एक प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थी की ओर से जबाब पेश किया गया उसी दिन पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थना पत्र आज बहस सुन कर निर्णय करने के लिये प्रार्थी पर जोर दिया। पीठासीन अधिकारी ने बहुत मुश्किल से आगामी तारीख दी गई। इससे स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी के पक्ष में निर्णय करने पर ऊतारु हैं। अप्रार्थी. द्वारा स्पष्ट कह दिया है कि प्रार्थना पत्र धारा 7 नियम 11 स्वीकार होगा। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 की तलबी की गई। उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। एस.डी.ओ. पहाड़ी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने न्याय के प्रति शंका जाहिर की है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। एस.डी.ओ.पहाड़ी के न्यायालय में विचाराधीन दावा संख्या 41/2015 आमिर वगे. बनाम युसुफ वगे. को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के यहॉ मुन्तकिली किया जाता है। निर्णय की प्रति एस.डी.ओ. पहाड़ी एवं एस.डी.ओ. भरतपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 28.6.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(संदेश नायक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official